न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर)

हरिचंद बनाम श्रीमती/तहसीलदार

नम्बर
अहकाम
हुक्म
में

हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

हाल मु.नं. - 41/2024

28.10.2024

पत्रावली आज पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। समय अभाव के निर्णय नही लिखाया जा सका। वास्ते निर्णय/आदेश पत्रावली दिनांक वास्ते बहस पत्रावली दिनांक 06.11.2024 को पेश हो।

(अनिल कुमार)
सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

06.11.2024

वास्ते आदेश/निर्णय हेतु पत्रावली आज पेश हुई। प्रकरण में बहस पूर्व में सुनी जा चूकी है। प्रकरण में मेरे द्वारा निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय अनुसार वकील वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र को स्वीकार किया जाता है। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.11.29 18:24:00 IST
Reason: SelfAttested

(अनिल कुमार)
सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक) श्रीमाधोपुर

जिला नीमकाथाना राज0

पीठासीन अधिकारी – श्री अनिल कुमार (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
41/2024	2024/68	14.03.2024	06.11.2024

उनवान प्रकरण

हरिचंद पुत्र नानूराम जाति जाट निवासी प्रतापपुरा तहसील खण्डेला जिला सीकर राज0 हाल निवासी ग्राम करडका तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर हाल जिला नीमकाथाना राज0

वादी–

बनाम्

भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर हाल जिला नीमकाथाना (राज0)

—प्रतिवादी—

उपस्थित :–

श्री प्रकाश चन्द मुण्ड, एड0 वादी अभिभाषक।

सरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से।

वाद पत्र बाबत् घोषणा एवं दुरूस्ती रिकार्ड (अन्तर्गत धारा 88 राज. का. अधि. 1955)

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.11.29 18:24:00 IST
Reason: SelfAttested

–:: निर्णय ::–

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादी इस आशय से प्रस्तुत किया है कि तन ग्राम करडका पटवार हल्का करडका भू0अभि0निरीक्षक थोई तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 में अवस्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 601, 602 कुल किता 2 कुल रकबा 16.3100 हैक्टर में 1/8 हिस्सा की खातेदारी मे वादी का नाम हरिराम पुत्र नानूराम दर्ज है। वादी का वास्तविक नाम हरिचंद पुत्र नानूराम है एव वादी के अन्य समस्त सरकारी दस्तावेजात आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, बैंक पास बुक, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, बैंक पास बुक, विधुत बिल आदि में भी हरिचंद पुत्र नानूराम ही दर्ज है परन्तु उक्त कृषि भूमि में वादी को घर में बचपन में बोलते नाम हरिराम पुकारने के कारण हरिराम दर्ज हो गया जिससे वादी को सख्त हक तलफी है एवं वादी को राज्य सरकार से मिलने वाली सुविधाओं में परेशानी आ रही है। इसलिए वादी का नाम राजस्व रिकार्ड खातेदारी मे हरिराम पुत्र नानूराम के स्थान पर हरचिंद पुत्र नानूराम घोषित किया जाना न्यायोचित व आवश्यक है। तन ग्राम करडका पटवार हल्का करडका भू0अभि0निरीक्षक थोई तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 में अवस्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 601, 602 कुल किता 2 कुल रकबा 16.3100 हैक्टर में 1/8 हिस्सा की खातेदारी में वादी का नाम हरिराम पुत्र नानूराम के स्थान पर पर हरिचंद पुत्र नानूराम घोषित किया जाकर दुरूस्त जाकर जावे एवं उक्तानुसार दुरूस्ती हेतू भूमिधारी तहसीलदार को आदेश किए जाने का निवेदन वकील वादी ने अपने वादपत्र में किया हैं।

इस पर वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये रजिस्टर्ड डाक/साधारण तरीके से सम्मन नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी की तामील रजिस्टर्ड डाक से करवाई गई। रजिस्टर्ड डाक के तामील करवाये जाने के बावजूद हाजिर अदालत नहीं आने पर प्रतिवादी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वादपत्र में अंकित तथ्यों के सम्बन्ध में वस्तुस्थिति की तथ्यात्मक जॉच रिपोर्ट तहसीलदार श्रीमाधोपुर से चाही गई। जिसकी पालना में तहसीलदार श्रीमाधोपुर के पत्रांक 2207/भू.अ./24 दिनांक 27.09.2024 के द्वारा जांच रिपोर्ट प्राप्त हुईं। जिसमें तहसीलदार

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.11.29 18:24:00 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

श्रीमाधोपुर ने पटवारी हल्का करडका की रिपोर्ट के आधार पर अवगत कराया है कि राजस्व ग्राम करडका की भूमि खाता संख्या 143 खसरा नम्बर 601, 602 किता 2 कुल रकबा 16.31 के खातेदार हरिराम पुत्र नानूराम हिससा 1/8 जाति जाट सा प्रतापपुरा खातेदार रहिन स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा कांवट जिला सीकर दर्ज राजस्व रिकार्ड है। ग्राम वासियों एवं सहखातेदारों से पूछताछ करने पर हरिराम का नाम हरिचंद भी बताया। हरिराम और हरचंद दोनो एक ही व्यक्ति है। इनके समस्त दस्तावेजो पक्का बिजली बिल, जन आधार कार्ड, मतादाता पहचान पत्र, आधार कार्ड बैंक डायरी एवं ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र में हरचंद पुत्र नानूराम दर्ज है। उपरोक्त तथ्यों के आधार प्रार्थी का नाम हरिराम पुत्र नानूराम के स्थान पर हरिराम उर्फ हरिचंद पुत्र नानूराम शुद्ध किये जाने की अभिषंशा की जाती हैं। वकील वादी ने वादपत्र में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से जांच रिपोर्ट प्राप्त हो जाने से प्रकरण में आज ही बहस सुनी जाकर वादपत्र का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया गया।

हमनें वकील वादी की बहस एक पक्षीय सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा वकील वादी द्वारा की गई बहस पर सगौर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं राजस्व रिकॉर्ड अंतिम चौसाला आधार जमाबंदी सम्वत् 2074–2077 की जमाबंदी, बिजली बिल, भारत निर्वाचन आयोग का मतदाता पहचान की पत्र की फोटोप्रति, जन आधार कार्ड की फोटोप्रति, आधार कार्डे की फोटो प्रति, ग्राम पंचायत करडका द्वारा जारी प्रमाण पत्र, तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्रापत जांच रिपोर्ट के आधार पर भिजवाई गई अभिशंषा रिपोर्ट, इत्यादि का अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि तन ग्राम करडका पटवार हल्का करडका भू–अभिलेख निरीक्षक थोई तहसील श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना राज0 में अवस्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 601, 602 कुल किता 2 कुल रकबा 16.3100 हैक्टर में 1/8 हिस्सा की खातेदारी में वादी का नाम हरिराम पुत्र नानूराम दर्ज रिकार्ड होना प्रमाणित होता है जबकि वादी के अन्य दस्तावेजात् यथा बिजली बिल, भारत निर्वाचन आयोग का मतदाता पहचान की पत्र की फोटोप्रति, जन आधार कार्ड की फोटोप्रति, आधार कार्डे की फोटो प्रति, ग्राम पंचायत करडका द्वारा जारी प्रमाण पत्र में वादी का नाम हरिचंद पुत्र नानूराम दर्ज रिकार्ड होना प्रकट होता है। जिसकी ताईद वादी के वादपत्र के समर्थन से होती है। अतः

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.11.29 18:24:00 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

ऐसी स्थिति में वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र को न्यायहित में स्वीकार किया जाकर हरिराम पुत्र नानूराम के स्थान पर हरिचंद पुत्र नानूराम शुद्ध किया जाकर दुरूस्त किया जाना न्यायोचित है।

—:: क्रियात्मक आदेश ::—

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से वादी का वाद बाबत घोषणा एंव दुरूस्ती रिकार्ड को स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि तन ग्राम करडका पटवार हल्का करडका भू–अभिलेख निरीक्षक थोई तहसील श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना राज0 में अवस्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 601, 602 कुल किता 2 कुल रकबा 16.3100 हैक्टर में 1/8 हिस्सा की खातेदारी में वादी का नाम **हरिराम पुत्र नानूराम** के स्थान पर **हरिचंद पुत्र नानूराम** घोषित किया जाकर दुरूस्त किया जावे एवं उक्तानुसार तहसीलदार श्रीमाधोपुर को दुरूस्त किये जाने की स्वीकृति दी जाती है। तदनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावें। इसी अनुसार पर्चा डिकी जारी हों। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(अनिल कुमार)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

यह निर्णय आज दिनांक 06.11.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.11.29 18:24:00 IST
Reason: SelfAttested

(अनिल कुमार)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)